रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2005/ज्येष्ठ 26, 1927
No. 266] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2005/JYAISTHA 26, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2005

सा. का. नि. 404(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कोचीन पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम 2005 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कोचीन पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1964

1. इन विनियमों का नाम कोचीन पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 2005 है।
2. ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. कोचीन पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम के विनियम 9 में, इसके आगे उक्त नाम अभिहित है, निम्नलिखित उप-विनियम (6) के बाद उप-विनियम 7 तथा 8 के रूप में सम्मिलित किया जाए।

"(7) इस विनियम के तहत दिया गया या दिया हुआ माना गया कोई विलंबन आदेश, विलंबन आदेश के जारी के 90 दिन के पहले इस उद्देश्य के लिए गठित पुनरीक्षण समिति के सिफारिश के आधार पर तथा विलंबन को विस्तार करने या रद्द करने के पास ओर्डर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन या रद्द किए जाएंगे। बाद के पुनरीक्षण विलंबन की विस्तार अवधि की समाप्ति के पहले किए जाएंगे। विलंबन की विस्तार की अवधि एक ही समय पर 180 दिनों से ज्यादा न हो।"

"(8) उप-विनियम (6) में निहित किसी बात के होते हुए इस विनियम के उप-विनियम (1) या (3) के तहत दिया हुआ या दिया हुआ माना गया विलंबन आदेश का 90 दिनों की अवधि के बाद मान्य नहीं होगा यदि 90 दिनों की अवधि के पहले पुनरीक्षण के बाद अवधि का विस्तार नहीं किया जाता।"

[फा. सं. पी आर-12016/3/2005-पीई-1]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मुख्य विनियम तारीख 29-12-1964 के संख्या सा.का.नि. 319 के तहत भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया था तथा बाद में 31-10-2000 के संख्या सा.का.नि. 843(अ) के तहत तथा अंत में 24-8-2004 के संख्या सा.का.नि. 539 (अ) द्वारा संशोधित।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2005

G. S. R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2005 made by the Board of Trustees of Cochin Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

AMENDMENT TO THE COCHIN PORT EMPLOYEES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) REGULATIONS, 1964

1. These Regulations may be called the Cochin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2005.

2. They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

3. In the Regulation 9 of the Cochin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, hereinafter called the said regulations, the following shall be inserted as Sub-regulations '7' and '8' after Sub-regulation (6).

"(7) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension, before expiry of ninety days from the date of order of suspension, on the recommendation of the review committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time."

"(8) Notwithstanding anything contained in Sub-regulation (6), an order of suspension made or deemed to have been made under Sub-regulation (1) or (3) of this Regulation shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after a review for a further period before the expiry of ninety days."

[F. No. PR-12016/3/2005-PE-I]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 319 dated 29-12-1964 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 843(E) dated 31-10-2000 and lastly amended *vide* No. G.S.R. 539(E), dated 24-08-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.